मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१९

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह ८ मार्च, २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४ में, उपधारा (३) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि सदस्यों की पदावधि के समाप्त होने पर, यदि प्रबंध समिति पुनर्गठित नहीं होती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों की पदावधि का विस्तार, ऐसे विस्तार का कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसी समाप्ति की तारीख से, और छह माह की कालावधि के लिए, कर सकेगी. निर्वाचन के पश्चात्, यह विस्तारित कालावधि उपधारा (३) और उपधारा (७) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में समायोजित की जाएगी.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ५ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४ की उपधारा (३) और उपधारा (७) में, यह उपबंधित है कि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को, यदि वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो तो, नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए, पद पर रहेंगे.

२. अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात्, १७६५ जल उपभोक्ता संथाओं के निर्वाचन कराए गए थे और सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में ४ जनवरी, २०१७ को जारी की गई. इन जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष और ५१२० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्यों की पदावधि ३ जनवरी, २०१९ को समाप्त हो गई थी, किन्तु अध्यादेश क्रमांक ३ सन् २०१९ दिनांक ८ मार्च, २०१९ के अनुपालन में, विभागीय अधिसूचना क्र. ३२/१८/२०१/मध्यम/१४५ दिनांक ९ अप्रैल, २०१९ द्वारा पदावधि को, समाप्ति की तारीख ३ जनवरी, २०१९ से छह मास की कालावधि के लिए विस्तारित किया गया था, जो ३ जुलाई, २०१९ को समाप्त हो रही है, और ९३ जल उपभोक्ता संथाओं के ३६० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष के ३ जुलाई, २०१९ को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण, यह सभी १७६५+९३=१८५८ संस्थाएं प्रभावहीन हो जाएंगी. अतएव, यह आवश्यक है कि उक्त समस्त संस्थाओं की अवधि का, और छह मास की कालावधि के लिए विस्तार किया जाए. निर्वाचन के पश्चात्, यह विस्तारित कालावधि धारा ४ की उपधारा (३) तथा उपधारा (७) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में समायोजित की जाएगी.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ५ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ०८ जुलाई, २०१९.

हुकुम सिंह कराड़ा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के कार्यकाल समाप्त होने तथा पुनर्गठन नहीं किए जाने पर उक्त समितियों के सदस्यों की पदावधि का विस्तार किए जाने के संबंध में विधायनी शक्ति का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है जो सामान्य स्वरुप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१७६५ जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष और ५१२० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्यों की पदावधि ३ जनवरी, २०१९ को समाप्त हो गई थी. किन्तु मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश,२०१९ क्रमांक ३ सन् २०१९ (निरसित अध्यादेश) के अनुपालन में, विभागीय अधिसूचना क्र. ३२/१८/१९/२०१/मध्यम/१४५ दिनांक ९ अप्रैल, २०१९ द्वारा पदावधि को, समाप्ति की तारीख ३ जनवरी, २०१९ से छह मास की कालावधि के लिए विस्तारित किया गया था, जो ३ जुलाई, २०१९ को समाप्त हो रही थी, और ९३ जल उपभोक्ता संथाओं के ३६० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष के ३ जुलाई, २०१९ को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण यह सभी १७६५+९३=१८५८ संस्थाएं प्रभावहीन हो रही थी. अतएव, यह आवश्यक है कि उक्त समस्त संस्थाओं की अवधि का, और छह मास की कालावधि के लिए विस्तार किया जाए. अतः तत्संबंधी प्रावधान बनाया जाना अत्यावश्यक था. विधान सभा का सत्र चालू नहीं था इस कारण मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागदीारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ५ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) से उद्धरण.

* * * * *

४. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति.— (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो उनके अपने-अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, धारा ३ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित धारा ३ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति एक अभंग निकाय होगी, जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे.

(३) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि, यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम निर्वाचन में, समस्त प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्य एक बार में निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सेवानिवृत्त होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन प्रारंभ होने के पूर्व लॉट डालकर विनिश्चित किया जाएगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.